



बड़ौदा यू. पी. बैंक Baroda U.P. Bank

क्षेत्रीय कार्यालय:
चंदौली जीटी रोड, अलीनगर
गुप्ता पेट्रोल पम्प, मुगलसराय,
जनपद- चन्दौली (232101)

सार्वजनिक
बिक्री/नीलामी सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

अचल संपत्ति के लिए सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तिताओं की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 6 (2) और/या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना
जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदार(रों) जमानतदार(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार(रों) जमानतदार(ओं) बन्धककर्ता(ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/सम्पत्तियों। इसके बाद कथित सम्पत्तियों के नाम से निर्दिष्ट का सांकेतिक कब्जा ले लिया है जैसा की अधोहस्ताक्षरी, सरफेसिया अधिनियम 2002 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंको के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेषरूप से कर्जदार(रों) जमानतदार(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूति लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित पड़ी है, जिसका सांकेतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू. पी. बैंक, प्रतिभूति लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार लिखि को "जैसा है जहाँ है, जैसा है जो है" और जो है वही है" आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेषरूप से कर्जदार(रों) जमानतदार(ओं) बन्धककर्ता(ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसिया अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 18.04.2022 को या उससे पहले बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय: चंदौली जीटी रोड, अलीनगर, गुप्ता पेट्रोल पम्प, मुगलसराय, जनपद- चन्दौली (232101) में मुहरबंद लिफाफे में निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 19.04.2022 को खोली जाएगी।

क्र. सं.	ऋणी/ बन्धककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण संपत्ति के माथिक का नाम	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक कब्जा का प्रकार	बकाया धनराशि (₹)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि (₹)
1.	ऋणी- श्री जय राम गोंड पुत्र श्री मार्कंडेय गोंड, पता: प्लाट नं0 107, ग्राम- कबीरपुर दहिया शाखा- कटरिया जिला- चंदौली खाता संख्या 818066510000128	सम्यक बंधक की भूमि व भवन प्लाट नं-107, मौजा- कबीरपुर, परगना- राहपुर, जिला- चंदौली, क्षेत्रफल- 680.00 वर्ग फीट मालिक- श्री जय राम गोंड पुत्र श्री मार्कंडेय गोंड चौहद्दी- उत्तर- गोविन्द सोनकर की जमीन, दक्षिण- 3 फीट कच्चे रास्ता के बाद राजेश सेठ की घर और जमीन, पूरब- सुनील सोनकर की जमीन, पश्चिम- गोविन्द सोनकर की जमीन	17.02.2021 24.09.2021 सांकेतिक कब्जा	₹ 11,06,931.20 + दिनांक 01.07.2020 से अप्रभाति ब्याज + अन्य स्वर्च	₹ 11,00,000/- ₹ 1,10,000/-
2.	ऋणी- श्रीमती भाग्यमानी देवी पत्नी श्री छेदी यादव, एवं श्री सुभाष यादव पुत्र श्री छेदी यादव, पता: कटेसर, जिला- चंदौली शाखा- कटरिया जिला- चंदौली खाता संख्या- 818066510000165	सम्यक बंधक की संपत्ति, आराजी नं-208, मौजा कटेसर, परगना- राहपुर, जिला- चंदौली, क्षेत्रफल- 2040 वर्ग फीट, मालिक- श्रीमती भाग्यमानी देवी पत्नी श्री छेदी यादव चौहद्दी- उत्तर- 8 फीट कच्चा रास्ता एवं कन्हैया यादव की भूमि, दक्षिण- 6 फीट कच्चा रास्ता एवं झगर यादव की भूमि, पूरब- भूमि चौथी एवं कन्हैया यादव, दक्षिण- कन्हैया यादव की भूमि	31.10.2020 25.03.2021 सांकेतिक कब्जा	₹ 9,26,310.00 + दिनांक 01.07.2020 से अप्रभाति ब्याज + अन्य स्वर्च (धरोहर मांग सूचना) के बाद जमा राशि	₹ 18,00,000/- ₹ 1,80,000/-
3.	ऋणी- श्री अशोक सिद्धार्थ, पुत्र स्व0 हरिहर प्रसाद केशरी एवं श्री सोरब केशरी पुत्र अशोक सिद्धार्थ, पता: हाउस नं0 267, मैनाताली, गल्लामंडी, पोस्ट- मुगलसराय, जिला- चंदौली शाखा- अलीनगर, जिला- चंदौली खाता संख्या- 618124030000148	सम्यक बंधक की संपत्ति, भूमि व भवन, हाउस नं0 248 (200), मैनाताली, मुगलसराय, जिला- चंदौली, क्षेत्रफल- 572 वर्ग फीट, मालिक- श्री अशोक सिद्धार्थ पुत्र स्व0 हरिहर प्रसाद केशरी चौहद्दी- उत्तर- रतन केशरी का घर, दक्षिण- किशन प्रसाद का घर, पूरब- 6 फीट चौड़ा लेन उसके बाद गोपाल और अशोक सिद्धार्थ का घर, पश्चिम- लक्ष्मी जायसवाल का घर	15.09.2021 29.12.2021 सांकेतिक कब्जा	₹ 17,32,210.75 + दिनांक 01.04.2021 से अप्रभाति ब्याज + अन्य स्वर्च	₹ 38,80,000/- ₹ 3,88,000/-
4.	ऋणी- श्रीमती सुमन देवी पत्नी सुनील कुमार शर्मा तथा श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री शिवधनी शर्मा पता, मकान नं0 169 ए, लक्ष्मीपुर, कालीमहाल मुगलसराय, जिला- चंदौली, शाखा अलीनगर जिला चंदौली खाता संख्या- 618126680000010	सम्यक बंधक - भूमि व भवन आराजी नं0/प्लाट नं0 142/13, हाउस नं0 169ए, मौजा- लक्ष्मीपुर परगना- मवई, जिला- चंदौली, क्षेत्रफल- 1365 वर्ग फीट, मालिक- श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री सुनील कुमार शर्मा चौहद्दी- उत्तर- भूमि अन्य व्यक्ति, दक्षिण- रेलवे गार्ड की जमीन, पूरब- 8 फीट CC रोड, पश्चिम- भूमि अन्य व्यक्ति	18.01.2020 01.12.2020 सांकेतिक कब्जा	₹ 12,77,930.00 + दिनांक 01.01.2020 से अप्रभाति ब्याज + अन्य स्वर्च (धरोहर मांग सूचना) के बाद जमा राशि	₹ 27,00,000/- ₹ 2,70,000/-
5.	के.के.मेन्स वेयर, प्रो0- श्री अनुराग जायसवाल पुत्र भगवान दास, पता: (पुराना) मकान संख्या 42 एवं (नया) मकान नं0 54, लाट नं0 1, वेस्टर्न बाजार मुगलसराय, जिला- चंदौली शाखा- अलीनगर जिला चंदौली खाता संख्या- 618125010000201	सम्यक बंधक - (पुराना) हाउस नं0 42 एवं (नया) मकान नं0 54 लाट नं0 1, परगना- मवई मुगलसराय, जिला- चंदौली, मालिक- श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी-भगवान दास जायसवाल क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट चौहद्दी- पूरब- मोहनी देवी का घर, पश्चिम- मुन्नी लाल कुशावाहा का घर, उत्तर- रास्ता, दक्षिण- गणेश प्रसाद का घर	17.10.2020 18.02.2021 सांकेतिक कब्जा	₹ 26,96,526.69 + दिनांक 01.07.2020 से अप्रभाति ब्याज + अन्य स्वर्च (धरोहर मांग सूचना) के बाद जमा राशि	₹ 33,50,000/- ₹ 3,35,000/-
6.	ऋणी- मेसर्स नारायण टायर्स, प्रो0 श्री रजत चतुर्वेदी पुत्र लल्लन चौबे, पता: ग्राम- काजीपुर, पोस्ट- सोगाई, जिला- चंदौली शाखा- बरडी कमरौर, जिला- चंदौली खाता संख्या- 618175010030127	सम्यक बंधक - भूमि व भवन प्लाट नं0 61, ग्राम- काजीपुर, परगना- नरवन, जिला- चंदौली, क्षेत्रफल- 9253.06 वर्ग फीट, मालिक- रजत चतुर्वेदी पुत्र लल्लन चौबे चौहद्दी- उत्तर- कच्चा रास्ता, दक्षिण- बिहारी यादव का मकान और जमीन, पूरब- लल्लन चौबे की जमीन, पश्चिम- प्रकाश चौबे की जमीन	21.01.2020 01.12.2020 सांकेतिक कब्जा	₹ 27,28,411.50 + दिनांक 01.01.2020 से अप्रभाति ब्याज + अन्य स्वर्च	₹ 49,30,000/- ₹ 4,93,000/-
7.	ऋणी- सहाबुद्दीन पुत्र मो0 मुसा एवं कमरुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन, पता: ग्राम- अब्दुल रहमपुर (दुल्हीपुर) पोस्ट- दुल्हीपुर, जिला- चंदौली शाखा- साहपुरी, जिला- चंदौली खाता संख्या- 818096510000010	सम्यक बंधक - भूमि व भवन प्लाट नं0 102, मौजा- करवत, परगना- राहपुर, जिला- चंदौली, क्षेत्रफल- 760 वर्ग फीट, मालिक- सहाबुद्दीन पुत्र मोहम्मद मुसा चौहद्दी- पूरब- दूसरे की जमीन, पश्चिम- रस्तोगी की जमीन, उत्तर- वसीम का घर, दक्षिण- कच्चा रास्ता	11.02.2021 08.10.2021 सांकेतिक कब्जा	₹ 11,29,640.15 + दिनांक 01.07.2020 से अप्रभाति ब्याज + अन्य स्वर्च	₹ 16,00,000/- ₹ 1,60,000/-
8.	ऋणी- श्री इस्तियाक अली पुत्र वीर मोहम्मद तथा श्रीमती परवीन बेगम पत्नी इस्तियाक अली, पता: ग्राम- परशुरामपुर, सिकटीया, पोस्ट- मुगलसराय, जिला- चंदौली 232101 शाखा- रेमा, जिला- चंदौली खाता संख्या- 818166510000003	सम्यक बंधक - भूमि व भवन आराजी नं0 5/2, 36/2 व 70/3, मौजा- परशुरामपुर, परगना- मवई, जिला- चंदौली, क्षेत्रफल- 1316 वर्ग फीट मालिक- परवीन बेगम पत्नी इस्तियाक अली चौहद्दी- पूरब- लालचंद पटेल की जमीन, पश्चिम- अनिल एवं मीना देवी का घर, उत्तर- 7 फीट रास्ता, दक्षिण- सुमित्रा देवी का घर	25.11.2020 16.10.2021 सांकेतिक कब्जा	₹ 7,25,073.00 + दिनांक 01.07.2020 से अप्रभाति ब्याज + अन्य स्वर्च (धरोहर मांग सूचना) के बाद जमा राशि	₹ 27,70,000/- ₹ 2,77,000/-

नीलामी के नियम व शर्तें -

बिक्री के नियम एवं शर्तें : 1- इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबंद लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं एवं प्रकार की तिथि वर्णित होने चाहिए। 2- बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में चंदौली में देययोग्य एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, बड़ौदा यू. पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय चंदौली के पक्ष में डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि का 10% आरक्षित मूल्य का 10% धरोहर राशि जमा/ संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3- सफल बोलीदाता को डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (धरोहर राशि को छोड़कर) का 15% और जमा करना होगा और शेष 75% अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिए बोली/ सर्वोच्च बोली को स्वीकार/ अस्वीकार/ रद्द/ निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5- प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/ देनदारियों/ भार/ करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6- सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाप्स ज्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7- यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8- बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है", और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9- अगर कोई कर्जदार/ जमानतदार/ बंधक कर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकायों का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार/ जमानतदार/ बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूति आस्तिताओं को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 द्वारा के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10- यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के सम्बन्ध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर सम्बंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/ निरीक्षण कर सकते हैं। 11- यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/ जमानतदार(ओं) बंधक कर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/ सर्वसाधारण के लिए समान्तर रूप से है। 12- बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूति लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किये गए लिंक को <https://barodaupbank.in/sarfaesinotice.php> देखें या दिये गये मोबाइल नं0 87877005609 पर सम्बन्ध कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार(ओं)/जमानतदार(ओं)/कानूनी वारिस(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक - 20.03.2022

स्थान - चन्दौली

प्राधिकृत अधिकारी